Result Mitra Daily Magazine

पूजा स्थल एक्ट

➢ हालिया संदर्भ :

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने पूरे देश की दीवानी अदालतों को यह आदेश दिया है कि वे किसी भी पूजा–स्थल के स्वामित्व को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार न करें, जब तक कि इस संबंध में अगला आदेश न जारी किया जाए।
- भारत के CJI संजीव खन्ना की अगुआई वाली पीठ पूजा स्थल एक्ट, 1991 (Worship Place Act, 1991) से संबंधित याचिकाओं की समीक्षा कर रही थी।

➢ मुख्य बातें :

- SC का यह आदेश चल रहे मुकदमों एवं भविष्य में आने वाले मामलों पर भी लागू होता है।
- यह आदेश दीवानी अदालतों को मामलों को पंजीकृत करने से भी रोकता है।
- इस आदेश के बाद दीवानी अदालतें सर्वेक्षण का आदेश नहीं दे सकती तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से रिपोर्ट नहीं मांग सकती।
- SC ने कहा कि इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह धर्मनिरपेक्षता और कानून के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।
- याचिकाकर्ताओं ने इस कानून को मुख्यतः दो आधार पर चुनौती दी है :–

1. यह कानून पारित होने के मौजूद दावों को समाप्त करके न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम करता है।

2. यह धार्मिक चरित्र को निर्धारित करने के लिए 15 अगस्त 1947 को Cut–Off तिथि के रूप में मान्यता नहीं देती है।

➢ Worship Place Act, 1991 :

- यह मुख्यत: अयोध्या के राम मंदिर विवाद के संदर्भ में लाया गया था।
- यह एक्ट पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता है तथा प्रावधान करता है, 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की जैसी चरित्र थी, वह कायम रखी जाएगी।
- इस एक्ट (विशेष प्रावधान) की धारा–3, किसी भी स्थल को आंशिक या पूर्ण रूप से किसी अन्य चरित्र वाले रूप में परिवर्तित करने पर रोक लगाती है।
- इस एक्ट की धारा–4(1) यह प्रावधान करती है कि पूजा स्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली अपरिवर्तित रहेगी।
- धारा–4(3) इस एक्ट के अपवाद को बताती है तथा प्रावधान करती है, प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल और अवशेष एक्ट, 1958 द्वारा शासित होने वाले प्राचीन और ऐतिहासिक इमारत इस श्रेणी से बाहर है।
- साथ ही यह एक्ट उन विवादों पर लागू नहीं होता है, जो पहले ही सुलझ चुके हैं।
- धारा–5 प्रावधान करता है कि राम जन्मभूमि विवाद भी इस एक्ट में शामिल नहीं होगा।
- 2019 में अयोध्या मामले में 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने यह फैसला दिया था कि Worship Place Act, 1991 "संविधान के मूल ढांचे" में शामिल है।

➢ Bastic Structure Doctrine :

- Basic Structure यानि मूल ढांचा सिद्धांत न्यायिक समीक्षा का एक रूप है।
- इनका उपयोग न्यायालय द्वारा किसी कानून की वैधता का परीक्षण के लिए किया जाता है।
- यह सिद्धांत SC ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 7–6 के बहुमत से दिया था।
- पीठ ने फैसला सुनाया कि "मूल ढांचा" का सिद्धांत अपरिवर्तनीय है एवं इसमें संसद द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है।
- अगर कोई कानून मूल ढांचे सिद्धांत के विपरीत होती है, तो उसे असंवैधानिक करार दिया जाता है।
- SC ने कहा था कि इसकी कोई विस्तृत सूची नहीं है, हालांकि इसे संविधान के मूल विशेषताओं के रूप में समझा जा सकता है।
- इसमें न्यायिक समीक्षा, संघवाद, कानून के शासन आदि को शामिल किया जा सकता है।